# अध्याय 1

# प्रस्तावना

## 1.1 बजट प्रोफाइल

हरियाणा सरकार के अंतर्गत 53 विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के 36 उपक्रम तथा 36 स्वायत्त निकाय क्रियाशील हैं। विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों की सूची संलग्न है *(परिशिष्ट 1.1)*। वर्ष 2015-20 के दौरान राज्य सरकार के बजट अनुमानों तथा उनके विरूद्ध वास्तविक व्यय की स्थिति नीचे तालिका 1.1 में दी गई है।

तालिका 1.1: 2015-20 के दौरान राज्य का बजट तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

| व्यय | 2015-16 | | 2016-17 | | 2017-18 | | 2018-19 | | 2019-20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | बजट अनुमान | वास्तविक | बजट अनुमान | वास्तविक | बजट अनुमान | वास्तविक | बजट अनुमान | वास्तविक | बजट अनुमान | वास्तविक |
| सामान्य सेवाएं | 19,668 | 18,713 | 21,663 | 21,631 | 24,379 | 26,699 | 29,788 | 28,169 | 35,358 | 31,884 |
| सामाजिक सेवाएं | 25,015 | 21,539 | 29,403 | 25,473 | 31,404 | 28,061 | 34,176 | 29,743 | 36,114 | 33,726 |
| आर्थिक सेवाएं | 16,549 | 18,691 | 23,482 | 20,875 | 23,752 | 18,107 | 20,916 | 19,022 | 22,770 | 19,238 |
| सहायता अनुदान एवं अंशदान | 213 | 293 | 248 | 424 | 401 | 390 | 306 | 222 | 0 | 0 |
| कुल (1) | 61,445 | 59,236 | 74,796 | 68,403 | 79,936 | 73,257 | 85,186 | 77,156 | 94,242 | 84,848 |
| पूंजीगत परिव्यय | 5,904 | 6,908 | 8,817 | 6,863 | 11,122 | 13,538 | 15,780 | 15,306 | 16,260 | 17,666 |
| संवितरित ऋण एवं अग्रिम | 1,367 | 13,250 | 4,729 | 4,515 | 1,326 | 1,395 | 1,766 | 756 | 1,407 | 1,309 |
| लोक ऋण का भुगतान | 10,036 | 7,215 | 9,677 | 5,276 | 9,945 | 6,339 | 12,466 | 17,184 | 20,257 | 15,776 |
| आकस्मिक निधि | - | 63 | - | 80 | - | 27 | - | 13 | - | - |
| लोक लेखा संवितरण | 84,833 | 28,650 | 96,756 | 29,276 | 2,04,107 | 31,171 | 2,32,569 | 37,386 | 1,41,707 | 42,171 |
| अंतिम नकद शेष | - | 6,218 | - | 5,658 | - | 4,417 | - | 2,985 | - | 3,999 |
| कुल (2) | 1,02,140 | 62,304 | 1,19,979 | 51,668 | 2,26,500 | 56,887 | 2,62,581 | 73,630 | 1,79,631 | 80,921 |
| कुल योग (1+2) | 1,63,585 | 1,21,540 | 1,94,775 | 1,20,071 | 3,06,436 | 1,30,144 | 3,47,767 | 1,50,786 | 2,73,873 | 1,65,769 |

स्रोतः राज्य सरकार के बजट की वार्षिक वित्तीय विवरणियां एवं स्पष्टीकरण ज्ञापन

## 1.2 राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग

2019-20 के दौरान ₹ 2,73,873 करोड़ के कुल बजट परिव्यय के विरूद्ध संसाधनों का उपयोग ₹ 1,65,769 करोड़ था। राज्य का कुल व्यय[1] 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान ₹ 79,394 करोड़ से 31 प्रतिशत बढ़कर ₹ 1,03,823 करोड़ हो गया जबकि राजस्व व्यय उसी अवधि के दौरान ₹ 59,236 करोड़ से 43 प्रतिशत बढ़कर ₹ 84,848 करोड़ हो गया था। 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान कुल व्यय में राजस्व व्यय का भाग 75 से 86 प्रतिशत के मध्य था जबकि पूंजीगत व्यय नौ से 17 प्रतिशत के मध्य था।

2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान कुल व्यय औसत 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ा जबकि राजस्व प्राप्तियां 11 प्रतिशत की वार्षिक औसत से बढ़ी।

[1] राजस्व व्यय, पूंजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिम का योग।

## 1.3 अनवरत बचतें

पिछले पांच वर्षों के दौरान 20 अनुदानों तथा एक विनियोजन में ₹ 10 करोड़ से अधिक की अनवरत बचतें थी जो कुल अनुदानों का 10 प्रतिशत या उससे अधिक भी थी जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है।

तालिका 1.2: अनवरत बचतें दर्शाने वाले अनुदान

**(₹ करोड़ में)**

| क्र. सं. | अनुदान की संख्या एवं नाम | बचत की राशि | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
| राजस्व (दत्तमत) | | | | | | |
| 1. | 07-आयोजना एवं सांख्यिकी | 237.74 (58) | 283.17 (62) | 10.76 (26) | 22.00 (37) | 18.24 (34) |
| 2. | 11-खेल एवं युवा कल्याण | 84.43 (27) | 105.84 (25) | 211.20 (46) | 114.86 (29) | 114.93 (28) |
| 3. | 14-शहरी विकास | 63.06 (37) | 12.47 (13) | 53.95 (51) | 38.93 (36) | 477.33 (82) |
| 4. | 15-स्थानीय शासन | 1,407.70 (43) | 879.77 (25) | 1,462.93 (27) | 2,168.63 (43) | 2,263.66 (41) |
| 5. | 17-रोजगार | 29.62 (38) | 16.12 (23) | 56.52 (24) | 45.37 (13) | 69.75 (15) |
| 6. | 18-औद्योगिक प्रशिक्षण | 30.39 (12) | 52.67 (19) | 122.11 (29) | 185.11 (37) | 201.65 (31) |
| 7. | 19-अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण | 323.20 (49) | 213.79 (27) | 357.63 (47) | 325.97 (45) | 226.64 (44) |
| 8. | 21-महिला एवं बाल विकास | 268.23 (27) | 368.88 (33) | 232.26 (22) | 476.58 (34) | 409.27 (29) |
| 9. | 24-सिंचाई | 359.16 (21) | 512.12 (27) | 519.63 (27) | 214.32 (13) | 265.50 (15) |
| 10. | 25-उद्योग | 70.33 (56) | 436.29 (62) | 234.39 (64) | 343.58 (61) | 60.84 (19) |
| 11. | 27-कृषि | 374.19 (27) | 826.91 (43) | 648.44 (34) | 956.78 (35) | 1,542.96 (50) |
| 12. | 28-पशु पालन | 171.88 (25) | 110.83 (15) | 88.83 (12) | 107.55 (12) | 183.11 (18) |
| 13. | 30-वन एवं वन्य जीवन | 76.92 (19) | 97.95 (26) | 142.21 (31) | 143.96 (32) | 178.39 (35) |
| 14. | 32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास | 815.54 (28) | 366.90 (10) | 1,193.68 (26) | 1,261.75 (26) | 1,341.36 (25) |
| 15. | 34-परिवहन | 259.83 (13) | 283.94 (13) | 277.38 (12) | 406.76 (16) | 387.16 (16) |
| 16. | 37-चुनाव | 15.49 (22) | 11.24 (20) | 38.15 (53) | 30.63 (40) | 171.11 (56) |
| पूंजीगत (दत्तमत) | | | | | | |
| 17. | 18-औद्योगिक प्रशिक्षण | 14.74 (32) | 16.99 (36) | 14.30 (37) | 53.33 (78) | 32.13 (42) |
| 18. | 21-महिला एवं बाल विकास | 168.82 (79) | 37.37 (34) | 110.87 (64) | 77.01 (48) | 127.84 (88) |
| 19. | 34-परिवहन | 79.85 (38) | 149.58 (57) | 45.64 (17) | 163.57 (47) | 488.07 (88) |
| 20. | 38-जन-स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति | 323.70 (28) | 310.50 (25) | 273.98 (19) | 294.53 (17) | 296.86 (20) |
| पूंजीगत (भारित) | | | | | | |
| 21. | लोक ऋण | 2,820.83 (28) | 4,401.67 (45) | 3,606.12 (36) | 2,081.88 (11) | 4,481.64 (22) |

कोष्ठकों में आंकड़े कुल प्रावधान से बचत की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोजन लेखे

## 1.4 भारत सरकार से सहायता अनुदान

2019-20 में भारत सरकार से सहायता अनुदानों में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 3,448.37 करोड़ (48.75 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

**(₹ करोड़ में)**

| विवरण | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| गैर-योजनागत अनुदान | 3,744.39 | 3,078.49 | - | - | - |
| राज्य प्लान स्कीमों के लिए अनुदान | 2,268.18 | 2,327.52 | - | - | - |
| केंद्रीय प्लान स्कीमों के लिए अनुदान | 27.53 | 34.50 | - | - | - |
| केंद्र प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान | 338.66 | 237.07 | 2,326.62 | 2,843.09 | 2,851.99 |
| वित्त आयोग अनुदान | - | - | 1,316.68 | 1,274.26 | 2,005.74 |
| जी.एस.टी. के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति | | | 1,199.00 | 2,820.00 | 5,453.43 |
| राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान | - | - | 342.82 | 136.19 | 210.75 |
| कुल | 6,378.76 (28) | 5,677.58 (-11) | 5,185.12 (-9) | 7,073.54 (36) | 10,521.91 (49) |

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

उपर्युक्त के अतिरिक्त भारत सरकार, विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए बड़ी मात्रा में निधियां राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे ही हस्तांतरित कर रही थी। भारत सरकार ने 2014-15 के बाद इन निधियों को राज्य के बजट के माध्यम से हस्तांतरित करने का निर्णय लिया था। तथापि, 2019-20 के दौरान भारत सरकार ने राज्य में विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को सीधे तौर पर ₹ 4,351.10 करोड़ हस्तांतरित किए।

## 1.5 लेखापरीक्षा का आयोजन तथा संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) और योजनाओं/परियोजनाओं सहित स्वायत्त निकायों में जोखिमों के आकलन से शुरू होती है, जिसमें गतिविधियों का महत्व/जटिलता, प्राप्त वित्तीय शक्तियों का स्तर, आंतरिक नियंत्रण, संबंधित हितधारकों की अपेक्षाओं तथा पिछले लेखापरीक्षा परिणामों का आकलन शामिल किया जाता है। जोखिम के आधार पर, लेखापरीक्षा की आवृत्ति तथा सीमा निश्चित की जाती है तथा वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा की समाप्ति के पश्चात, लेखापरीक्षा परिणामों से समाविष्ट निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अध्यक्ष/प्रबंधन को चार सप्ताह के अंदर उत्तर प्रस्तुत करने के आग्रह के साथ जारी किया जाता है। उत्तर के आधार पर या तो लेखापरीक्षा परिणामों का समाधान कर दिया जाता है अथवा अनुपालना के लिए अगली कार्रवाई का सुझाव दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में उठाई गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाने होते हैं, में शामिल करने के लिए तैयार किया जाता है।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा के कार्यालय द्वारा 2019-20 के दौरान, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(1) के अंतर्गत 6,321 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 559 विभागीय लेखापरीक्षिती इकाइयों, सार्वजनिक क्षेत्र के 16 उपक्रमों की 51 लेखापरीक्षिती इकाइयों और धारा 19(1), 19(2), 19(3) तथा 20(1) के अंतर्गत छः स्वायत्त निकायों की 44 लेखापरीक्षिती इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा की गई थी।

## 1.6 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां तथा सरकार के लेखापरीक्षा को उत्तर

पिछले कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा ने चयनित विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आंतरिक नियंत्रणों की गुणवत्ता के अतिरिक्त विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन में कई महत्वपूर्ण कमियों, जिनका विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यक्रमों तथा कार्यविधियों की सफलता पर नकारात्मक प्रभाव है, पर रिपोर्ट किया है। लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य नागरिक सेवाओं में सुधार लाने हेतु कार्यकारिणी/प्रबंधन को उचित सिफारिशें देना था। विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा छः सप्ताह की समय अवधि में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप अनुच्छेदों पर अपनी प्रतिक्रिया भेजनी अपेक्षित है।

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में 19 अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद शामिल हैं, जो संबंधित प्रशासनिक सचिवों को अग्रेषित किए गए थे। नौ अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेदों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पांच और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के चार) के संदर्भ में प्रशासनिक विभागों के उत्तर प्राप्त हुए हैं जिन्हें लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित कर लिया गया है।

इस प्रतिवेदन पर 26 अगस्त 2021 को एग्जिट कांफ्रेंस में हरियाणा सरकार के प्रशासनिक सचिवों, विभागीय प्रमुखों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंध निदेशकों और संबंधित विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अन्य प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई थी। सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन के दृष्टिकोणों पर विधिवत विचार किया गया है और प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित कर लिया है।

## 1.7 लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूलियां

सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की नमूना-लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए वसूलियों से आवेष्टित लेखापरीक्षा परिणाम, विभिन्न विभागीय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों/प्रबंधनों को पुष्टि तथा आवश्यक कार्रवाई करके लेखापरीक्षा को सूचित करने हेतु भेजे गए थे। निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से लेखापरीक्षा द्वारा उल्लिखित किए जाने के पश्चात् विभिन्न विभागों द्वारा 2019-20 के दौरान 25 मामलों में ₹ 1,00,534 करोड़ में से ₹ 2.19 करोड़ की राशि वसूल की गई थी।

## 1.8 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की संवेदनशीलता

सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आवधिक निरीक्षणों के बाद प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित कार्यालयों के अध्यक्षों को जारी किए जाते हैं तथा उच्चत्तर प्राधिकारियों/प्रबंधनों को प्रतियां भेजी जाती हैं। कार्यकारी प्राधिकारियों/प्रबंधनों से इंगित की गई त्रुटियों तथा चूकों को तत्परता से दूर करने और चार सप्ताह के अंदर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अनुपालना सूचित करने की अपेक्षा की जाती है। लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की मानीटरिंग तथा अनुपालना को सुगम बनाने के लिए, छः माह से अधिक लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की अर्ध-वार्षिक रिपोर्टें संबंधित प्रशासनिक सचिवों को भेजी जाती हैं। सितंबर 2020 तक, विभिन्न विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों से संबंधित विभिन्न लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों के विरुद्ध 8,214 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित कुल 25,502 अनुच्छेद विभिन्न समूहों के अंतर्गत लंबित थे, जैसा कि नीचे तालिका में वर्णित है:

तालिका 1.4: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों का वर्षवार विघटन

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या | अनुच्छेदों की संख्या | धन मूल्य |
|---|---|---|---|
| 2014-15 से पहले | 5,266 | 12,977 | 28,581.74 |
| 2015-16 | 599 | 2,189 | 55,395.77 |
| 2016-17 | 610 | 2,408 | 26,804.15 |
| 2017-18 | 630 | 2,521 | 2,55,976.30 |
| 2018-19 | 639 | 2,905 | 5,17,774.26 |
| 2019-20 | 470 | 2,502 | 1,21,116.45 |
| कुल | 8,214 | 25,502 | 10,05,648.67 |

स्रोतः प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन रजिस्टरों से ली गई सूचना

सितंबर 2020 तक लंबित इन निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से इंगित की गई अनियमितताओं के श्रेणी-वार विवरण *परिशिष्ट 1.2* में दिए गए हैं।

चिकित्सा विभाग के मार्च 2020 तक लेखापरीक्षित विभिन्न कार्यालयों से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि अगस्त 2020 के अंत तक ₹ 484.08 करोड़ की राशि वाले 306 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 754 अनुच्छेद लंबित थे जैसा नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 1.5: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों का वर्षवार विघटन

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या | अनुच्छेदों की संख्या | राशि |
|---|---|---|---|
| 1992-93 से 2014-15 | 204 | 366 | 67.71 |
| 2015-16 | 14 | 34 | 8.38 |
| 2016-17 | 25 | 72 | 93.66 |
| 2017-18 | 27 | 126 | 270.03 |
| 2018-19 | 17 | 74 | 28.82 |
| 2019-20 | 19 | 82 | 15.48 |
| कुल | 306 | 754 | 484.08 |

स्रोतः प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन रजिस्टरों से ली गई सूचना

अगस्त 2020 तक लंबित इन निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से इंगित की गई अनियमितताओं के श्रेणी-वार विवरण *परिशिष्ट 1.3* में दिए गए हैं।

## 1.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन

### 1.9.1 लोक लेखा समिति (लो.ले.स.)

हरियाणा सरकार, वित्त विभाग द्वारा जारी (अक्तूबर 1995) तथा मार्च 1997 एवं जुलाई 2001 में दोहराए गए अनुदेशों के अनुसार प्रशासनिक विभागों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रस्तुत किए गए सभी लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर, इस बात को ध्यान में रखे बिना कि ये मामले लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) द्वारा जांच हेतु लिए गए हैं या नहीं, स्वतः कार्रवाई आरंभ की जानी अपेक्षित है। प्रशासनिक विभागों से विधानमंडल को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के तीन माह के अंदर उनके द्वारा की गई अथवा की जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई दर्शाते हुए कृत कार्रवाई टिप्पणियां प्रस्तुत करनी अपेक्षित थीं।

वर्ष 2016-17 के लिए सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सा.क्षे.उ.) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर वर्ष 2019-20 के दौरान लोक लेखा समिति में चर्चा की गई है। वर्ष 2017-18 के लिए सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सा.क्षे.उ.) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 24 अनुच्छेद सम्मिलित थे, 26 नवंबर 2019 को राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिनमें से नौ अनुच्छेदों पर चर्चा की गई थी और आठ प्रशासनिक विभागों *(परिशिष्ट 1.4)* से संबंधित वर्ष 2017-18 के लिए सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सा.क्षे.उ.) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के शेष 15 अनुच्छेदों (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) पर लोक लेखा समिति में अभी चर्चा की जानी शेष थी (नवंबर 2020)। परिवहन विभाग से संबंधित एक अनुच्छेद पर कृत कार्रवाई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई थी (नवंबर 2020)। आगे, 18 प्रशासनिक विभागों ने वर्ष 2000-01 से 2017-18 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 34 अनुच्छेदों के संबंध में ₹ 13,236.81 करोड़ की राशि की वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की, जैसा कि *परिशिष्ट 1.5* में विवरण दिया गया है।

लोक लेखा समिति की सिफारिशों की ओर प्रशासनिक विभागों की प्रतिक्रिया प्रोत्साहक नहीं थी क्योंकि लोक लेखा समिति की 9वीं से 80वीं रिपोर्ट में समाहित 1971-72 से 2016-17 तक की अवधि हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 788 सिफारिशों के संबंध में संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा अंतिम कार्रवाई अब तक प्रतीक्षित थी, जैसा कि *परिशिष्ट 1.6* में विवरण दिया गया है।

### 1.9.2 लोक उपक्रम समिति (कोपू)

#### *1.9.2.1 उत्तर बकाया*

वित्त विभाग, हरियाणा सरकार ने सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश जारी किए (जुलाई 2002) कि वे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियां विधानमंडल को प्रस्तुत करने के बाद तीन महीने की अवधि के अंदर लोक उपक्रम समिति (कोपू) से किसी भी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किए बिना निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें।

तालिका 1.6: एस.पी.एस.ई. से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति (31 मार्च 2021 तक)

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष | राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएं/अनुच्छेद | | निष्पादन लेखापरीक्षाओं/अनुच्छेदों की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थीं | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | निष्पादन लेखापरीक्षा | अनुच्छेद | निष्पादन लेखापरीक्षा | अनुच्छेद |
| 2016-17 | 14 मार्च 2018 | 1 | 17 | - | 1 |
| 2017-18 | 26 नवंबर 2019 | 1 | 12 | 1 | 5 |
| 2018-19 | 5 मार्च 2021 | 1 | 14 | अभी देय नहीं है। | |

स्रोत: हरियाणा सरकार के संबंधित विभागों से प्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों पर आधारित संकलन

31 मार्च 2021 तक 11 विभागों के पास एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा छः अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां लंबित थीं।

#### *1.9.2.2 कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की चर्चा*

31 मार्च 2021 को कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सा.क्षे.उ.) में प्रकट एस.पी.एस.ई. से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षाओं और अनुच्छेदों की चर्चा की स्थिति निम्नानुसार थी:

तालिका 1.7: 31 मार्च 2021 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट की तुलना में चर्चा की गई निष्पादन लेखापरीक्षा/अनुच्छेद

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि | निष्पादन लेखापरीक्षाओं/अनुच्छेदों की संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|
| | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकट | | चर्चा किए गए अनुच्छेद | |
| | निष्पादन लेखापरीक्षा | अनुच्छेद | निष्पादन लेखापरीक्षा | अनुच्छेद |
| 2016-17 | 1 | 17 | - | 11 |
| 2017-18 | 1 | 12 | - | - |
| 2018-19 | 1 | 14 | - | - |

स्रोत: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर कोपू की चर्चा के आधार पर संकलित

2015-16 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा.क्षे.उ.) पर चर्चा पूरी हो गई है।

### *1.9.2.3 लोक उपक्रम समिति (कोपू) के प्रतिवेदनों का अनुपालन*

मार्च 2011 और मार्च 2020 के मध्य राज्य एस.पी.एस.ई. से संबंधित राज्य विधानसभा को प्रस्तुत कोपू के सात प्रतिवेदनों पर कृत कार्रवाई टिप्पणियां (ए.टी.एन.) प्राप्त नहीं हुई थी (31 मार्च 2021) जैसा कि नीचे तालिका में इंगित किया गया है:

तालिका 1.8: कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन

| कोपू रिपोर्ट का वर्ष | कोपू रिपोर्टों की कुल संख्या | कोपू रिपोर्ट में सिफारिशों की कुल संख्या | सिफारिशों की संख्या जिनकी ए.टी.एन. प्राप्त नहीं हुई |
|---|---|---|---|
| 2013-14 | 1 | 10 | 1 (अनुच्छेद संख्या 6) |
| 2014-15 | 1 | 12 | 1 (अनुच्छेद संख्या 5) |
| 2015-16 | 1 | 16 | 1 (अनुच्छेद संख्या 14) |
| 2016-17 | 1 | 15 | 5 (अनुच्छेद संख्या 1 से 5) |
| 2017-18 | 1 | 23 | 8 (अनुच्छेद संख्या 6, 15, 18 से 23) |
| 2018-19 | 1 | 7 | 2 (अनुच्छेद संख्या 5 एवं 7) |
| 2019-20 | 1 | 9 | 9 (अनुच्छेद संख्या 1 से 9) |
| कुल | 7 | 92 | 27 |

स्रोत: हरियाणा सरकार के संबंधित विभागों से कोपू की सिफारिशों पर प्राप्त ए.टी.एन. पर आधारित संकलन

कोपू के उपर्युक्त प्रतिवेदनों में उन अनुच्छेदों के संबंध में सिफारिशें थी जो 2009-10 से 2015-16 की अवधि के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में प्रकाशित हुए थे।

## 1.10 राज्य विधान सभा में स्वायत्त निकायों और सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

शहरी विकास, आवास, श्रम कल्याण, कृषि तथा न्याय के क्षेत्र में सरकार द्वारा कई स्वायत्त निकाय स्थापित किए गए हैं। राज्य में 36 स्वायत्त निकायों और दो सांविधिक निगमों के लेखों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। लेखापरीक्षा सौंपने, लेखापरीक्षा को लेखों की सुपुर्दगी, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को जारी करने तथा विधानसभा में इनके प्रस्तुतीकरण की स्थिति *परिशिष्ट 1.7* में दर्शाई गई है।

12 स्वायत्त निकायों और दो सांविधिक निगमों के संबंध में लेखों के प्रस्तुतीकरण में एक वर्ष से तीन वर्ष तक का विलंब रहा। लेखों के अंतिमकरण में विलंब के कारण वित्तीय अनियमितताओं को न खोज पाने का जोखिम बढ़ता है इसलिए लेखों को शीघ्र अंतिमकृत करके लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।